न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 665/2022

अनवान : –

1. बलदेव पुत्र सोहन जाति नायक निवासी गुडिया त0 नोहर।

वादी

बनाम्

1. सोहन पुत्र चुन्नी जाति नायक साकिन गुडिया त0 नोहर।
2. दुनीराम पुत्र सोहन जाति नायक साकिन गुडिया त0 नोहर।
3. मनीराम पुत्र सोहन जाति नायक साकिन गुडिया त0 नोहर।
4. सावित्री पुत्री सोहन जाति नायक साकिन गुडिया त0 नोहर।
5. ओमी पुत्री सोहन जाति नायक साकिन गुडिया त0 नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजय सिंह कडवासरा वादी
श्री अंजनी कुमार प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 21/01/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 वी बारानी के खाता सं0 250/234 के प0 नं0 344/397 मु0न0 94 के किला नं0 17 , 24 व प0 नं0 344/398 मु0न0 101 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17 18 की कुल 2.7830 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 सोहन पुत्र चुन्नी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही विनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जिसको शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 6 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:30:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी को घरेलु जरूरतों के हिसाब से केरीरी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। इस हेतु प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट कर वाद की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश किया है। अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता सं0 250/234 के प0 नं0 344/397 मु0न0 94 के किला नं0 17, 24 व प0 नं0 344/398 मु0न0 101 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17 18 की कुल 2.7830 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 सोहन पुत्र चुन्नी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 सोहन पुत्र चुन्नी के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वादी वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता सं0 250/234 के प0 नं0 344/397 मु0न0 94 के किला नं0 17, 24 व प0 नं0 344/398 मु0न0 101 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17 18 की कुल 2.7830 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 सोहन पुत्र चुन्नी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 सोहन पुत्र चुन्नी की बजाय वादी बलदेव तथा प्रतिवादी सं0 1 सोहन, प्रतिवादी सं0 2 दुनीराम, प्रतिवादी सं0 3 मनीराम, को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/01/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:30:13 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 665/2022

अनवान : –

1. बलदेव पुत्र सोहन जाति नायक निवासी गुडिया त0 नोहर। – वादी

बनाम

1. सोहन पुत्र चुन्नी जाति नायक साकिन गुडिया त0 नोहर।
2. दुनीराम पुत्र सोहन जाति नायक साकिन गुडिया त0 नोहर।
3. मनीराम पुत्र सोहन जाति नायक साकिन गुडिया त0 नोहर।
4. सावित्री पुत्री सोहन जाति नायक साकिन गुडिया त0 नोहर।
5. ओमी पुत्री सोहन जाति नायक साकिन गुडिया त0 नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर। – प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजय सिंह कड़वासरा व वकील प्रतिवादी श्री अजंनी कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता सं0 250/234 के प0 नं0 344/397 मु0न0 94 के किला नं0 17 , 24 व प0 नं0 344/398 मु0न0 101 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17 18 की कुल 2.7830 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 सोहन पुत्र चुन्नी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 सोहन पुत्र चुन्नी की बजाय वादी बलदेव तथा प्रतिवादी सं0 1 सोहन, प्रतिवादी सं0 2 दुनीराम, प्रतिवादी सं0 3 मनीराम, को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/01/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:30:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner